


कम्पलीशन सर्टीफिकेट की स्वीकृति हेतु फलो चार्ट



- स्वीकार— अनुज्ञापति व्यक्ति/आर्कीटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जांच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्स पाये जाने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- अस्वीकार— जाँच-परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकारी अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए सूचित किया जायेगा।

वांछित अभिलेख

- (I) पूर्णता मानचित्र की तीन प्रतियां।
- (II) निम्न प्रमाण-पत्र/अनापत्ति की दो प्रतियां-
 - चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मी० से ऊँचे भवन मिश्रित अधिवास वाले भवन जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमी० से अधिक हो, विशिष्ट भवन यथा शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवन हेतु अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक ऊँचे भवनों की संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुज्ञापति व्यक्ति का प्रमाण-पत्र।

चेक लिस्ट

- (i) भूखण्ड का क्षेत्रफल
- (ii) भू-उपयोग
- (iii) मानचित्र स्वीकृत की तिथि
- (iv) परमिट सं०
- (v) यदि अनाधिकृत विकास किया गया है तो शमन मानचित्र की प्रति।
- (vi) शमन शुल्क भुगतान की तिथि
- (vii) मानचित्र जो लागू हो उसके अनुसार निम्न का विवरण
 - सेटबैक
 - जलापूर्ति
 - मलोत्सरण
 - जल निकासी
 - विद्युत आपूर्ति
 - अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
 - लिफ्ट-चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, उ०प्र० से लिफ्ट का पूर्णता प्रमाण-पत्र
 - गारवेज सूट
- (viii) उपरोक्त विवरण एवं अभिलेख सहित अधिकृत व्यक्ति का आवेदन पत्र